संख्या 1 / 1471 / 35-4-2014

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी ,
सिद्धार्थनगर ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 28 नवम्बर, 2014

विषय : वर्ष 2014-15 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सिद्धार्थनगर में शासनादेश संख्या : 460 / 35- 4- 2014 दिनांक 04 मार्च, 2014 के द्वारा 02 कार्यों की रू. 2212.65 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 885.06 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। जिलाधिकारी के पत्र संख्या : 1375 / त्व0आ0वि0 / 2014 दिनांक 27 सितम्बर, 2014 तथा मुख्य अभियंता, (मु0-1)लो0 नि0वि0 के पत्र संख्या- 6605 बी.जी.जी. / 7 बी. -3 त्व0आ0वि0यो0 / 2014-15 दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 द्वारा उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत कार्यों में से एक कार्य यथा: जनपद सिद्धार्थनगर के वि0खं0 भनवापुर में असनहरा से उतरौला मार्ग के बीच राप्ती नदी पर सेतु के पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग व सुरक्षात्मक कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का शत- प्रतिशत उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उक्त कार्य हेतु अनुमोदित लागत रू. 1064.98 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू. 425.99 लाख को समायोजित करते हुए द्वितीय किश्त के रूप में रू. 425.99 लाख (रूपये चार करोड़ पचीस लाख निन्यानबे हजार मात्र) की धनराशि को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनदेश दिनांक 04 मार्च, 2014 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही अवशेष धनराशि आहरित कर बैंक / डाकघर/ पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आहरित कर डिपाजिट कार्यों के रूप में कार्यदायी विभाग - द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्ष " 8782" के अन्तर्गत-सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कर, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- ए-2-47/दस-97 -10(9) / 95, दिनांक 3 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपाजिट क्रेडिट लिमिट(डि0सी0एल0) निर्गत करके व्यय की जायेगी।
3- इस शासनादेश से उक्त कार्य के लिए द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि का आवंटन किया गया है। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु 80 प्रतिशत की सीमा तक धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराया जायेग।
4- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2015 तक पूर्णरूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2015 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा- जोखा 31 मार्च, 2015 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।
6- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

http://bnsandesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या- 40 -आयोजनागत-लेखाशीर्ष- 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत - 04 -जिला तथा अन्य सड़कें-101 - पुल - 03-त्वरित आर्थिक विकास योजना- 01 - सेतुओं के चालू कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24 -वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा । तथा अनुदान संख्या - 40 के अंतर्गत' 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय - 04 -जिला तथा अन्य सड़कें-101 - पुल - 03 - त्वरित आर्थिक विकास योजना- 02 - नये सेतुओं के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24 -वृहद निर्माण में उपलब्ध बचत से पुनर्विनियोग कर अपेक्षित धनराशि उपलब्ध करायी गयी है । इस सम्बंध में आदेश संख्या- यूओ - 1439 / 35-4-2014 दिनांक 25 नवम्बर, 2014 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की गयी है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2457 / दस- 2014-231 / 2014 दिनांक 22 जुलाई,2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव।

संख्या: 1 / 1471 (1) / 35-4-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा , प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण/ग्राम्य विकास/ गन्ना विभाग/ ग्रामीण अभियंत्रण सेवा / कृषि विपणन।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा;मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, बस्ती ।
7- मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर ।
8- प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग/ प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम
9- कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर ।
10- गार्ड फाईल।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सिद्धार्थनगर ।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in